क्रम-संख्या–258

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1166 / वि0स0 / संसदीय / 104(सं)-2021
लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 9 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 10 में, उपधारा (3) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् : —

''परन्तु यह भी कि जहाँ यान संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहाँ इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगा।''

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2021

3—(1) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) राज्य में यात्रियों तथा माल भाड़ा के परिवहन में संलग्न मोटर यानों पर कर और अतिरिक्त कर अधिरोपित करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में अवस्थित जिला चित्रकूट की भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार है कि कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आते हैं और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। चूंकि चित्रकूट एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यानों का संचलन प्रायः चित्रकूट जिला में होता है।

दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को जिला चित्रकूट में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गयी थी कि जिला चित्रकूट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अवस्थित कुछ क्षेत्रों को मुक्त परिक्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ताकि यानों के संचलन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के मध्य दिनांक 21 नवम्बर, 2006 के पारस्परिक करार के अनुच्छेद 6 में मुक्त परिक्षेत्र का उपबंध विद्यमान है, जिसके अनुसार यदि मुक्त परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश राज्यों में यान, यान—कर, अतिरिक्त—कर और पथकर—संदाय से छूट प्राप्त होते हैं।

पूर्वोक्त करार को दृष्टिगत रखते हुए और मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा को पूरा करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करके धारा 10 की उपधारा (3) में एक परन्तुक बढ़ाये जाने का विनिश्चय किया गया था।

480 RPH (motor yaan) (Sansadiya) 2021 Data 4e

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन्, 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

अशोक कटारिया,
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
परिवहन।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 850/XC-S-1–21-52S-2021
Dated Lucknow, December 20, 2021

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "**Uttar Pradesh Motor Yaan Karadhan (Sanshodhan) Vidheyak, 2021**" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 16, 2021.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 9th day of November, 2021.

Amendment of section 10 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, in sub section (3) *after* the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided also that where the operation of vehicles is permitted exclusively in the free zone declared in the reciprocal agreement between the State of Uttar Pradesh and the State of Madhya Pradesh, wherein tax exemption is also allowed, the tax payable under this section shall be exempted wholly or partially in accordance with the said agreement in the Chitrakoot Local Area."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire.

The geographical location of district Chitrakoot located in Uttar Pradesh is such that some areas fall in Uttar Pradesh, then some areas in Madhya Pradesh and again some areas fall within the borders of Uttar Pradesh. Since Chitrakoot is a major religious place, the movement of vehicles from Madhya Pradesh and Uttar Pradesh often happens in the Chitrakoot District.

It was announced by the Hon'ble Chief Minister on October 23, 2017 in Chitrakoot District that some areas located on the borders of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in Chitrakoot District should be declared as free zones, so that there is no obstruction in the movement of vehicles of any kind.

There is a provision of free zone in Article 6 of the mutual agreement dated November 21, 2006 between the State Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, according to which if the free zone comes in Uttar Pradesh, then vehicles are exempted from vehicle tax, additional tax and the payment of tolls (Toll) in the State of Uttar Pradesh and if the free zone falls within the Madhya Pradesh, then vehicles are exempted from the payment of vehicle tax and tolls (Tolls) in the State of Madhya Pradesh.

In view of the aforesaid agreement and in order to fulfill the announcement made by the Hon'ble Chief Minister it was decided to amend the aforesaid Act by inserting a proviso to sub section (3) of section 10.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 9 of 2021) was promulgated by the Governor on November 9, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance .

ASHOK KATARIYA,
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Parivahan.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 480 राजपत्र–2021–(1092)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

480 RPH (motor yaan) (Sansadiya) 2021 Data 4e